राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – नौरंगपुरा

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 62/2019

विमला देवी पत्नी श्री अमीचन्द जाति गुर्जर आयु 40 साल निवासी नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादिया

ब–ना–म

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री मुखाराम आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. नाथी पुत्री मुखाराम पत्नी श्री रामस्वरूप मिठारवाल आयु 45 साल जाति जाट निवासी भोपालपुरा पो. चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
3. बनवारी पुत्र मूलाराम आयु 60 साल जाति जाट
4. बोदूराम पुत्र मूलाराम आयु 75 साल जाति जाट
5. भागीरथ पुत्र चन्द्रा आयु 80 साल जाति जाट निवासीगण नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. मन्नी देवी पत्नी मूलाराम जाति गुर्जर आयु 50 साल
7. रामकरण पुत्र चन्द्रा आयु 55 वर्ष जाति जाट
8. पिदमण पुत्र श्योदान आयु 55 वर्ष जाति जाट
9. विधाधर पुत्र श्योदान आयु 53 वर्ष जाति जाट निवासीगण नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. सुमित्रा पुत्री मुखाराम पत्नी शैतान बडसरा जाति जाट आयु ...... वर्ष निवासी ढाणी बडसरा की तन् पापडा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं, राज0
11. भू स्वामी जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

–:निर्णय:– **दिनांक 25–10–2021**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04–03–2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 3 खसरा नंबर 375, 410 किता 2 कुल रकबा 1.45 है. भूमि में वादिया का 50 [illegible] हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश [illegible] जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर [illegible] काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ते सम्बन्धी राजस्व विभाग [illegible] दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र [illegible]ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:21:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2021/2372 दिनांक 14.09.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प नौरंगपुरा में पेश हुई। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–09–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प नौरंगपुरा में दिनांक 25–10–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:21:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner